

वाद सं. 77/2021

निर्णय दि. 10.12.21

2. पञ्चमली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व जवाब स्टेड का अवलोकन किया गया।

पारि. 1 ता 2 न पूर्व में सहमति पदान की है।

वाद अनुसार वादी का ग्राम अगावली के ख. नं. 453 में 5 बीघा भूमि का आवंजन हुआ। आवंजन पश्चात वादी का ख. नं. 453/2 (रखवा 5 बीघा) कायम किया गया।

भू-उपबंध विभाग द्वारा 453/2 का सम्पत् 2064 में नया ख. नं. 691 व 692 कायम किये गये।

वाद अनुसार वादी की जाति मीना है जिसे बैरा आंशित किया है। जवाब स्टेड में वादी की जाति मीना होने स्वीकार किया गया है।

वाद अनुसार पारि. सं. 1 ता 2 की खतेशरी के साविक ख. नं. 679 पर भी, जिसके settlement द्वारा ख. नं. 679 कायम किया गया है।

वाद अनुसार वादी नये ख. नं. 679 के स्थान पर आवंजित है। वादी के अभिन सं. पारि. 1 व 2 भी सहमत है।

अतः ग्राम अगावली के ख. नं. 302 में वादी की जाति बैरा के स्थान पर मीना दर्ज करने तथा वादी व पारि सं. 1 ता 2 की मज्जा हेतु की तरफ मीना, उभय पक्षों की मौजूदा व settlement पूर्व स्थिति के अनुसार बंधु किये जाने के आदेश तहसीलदार बहराण्डा को किये जाते हैं।

(Signature)
(रंजीत सिंह)
10.12.21

उपसचिव अधिकारी
सिकराय (दीरा)